नशा मुक्ति प्रतिज्ञा कराने में पहले स्थान पर रहा भोपाल जिले से नौ लाख से अधिक लोग इस अभियान से जुड़े

ब्रह्माकुमारीज गुलमोहर भोपाल संचालिका ब्रह्माकुमारी डॉ.रीना को मिला सम्मान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महा अभियान के अंतर्गत भोपाल,गुलमोहर कॉलोनी से सात लाख से अधिक नशा मुक्ति प्रतिज्ञा कराने हेतु मध्य प्रदेश एवं भोपाल जोन में प्रथम स्थान एवं संपूर्ण भारत में पांचवाँ स्थान प्राप्त हुआ है।

इस उपलब्धि पर संस्थान द्वारा माउण्ट आबू में वैश्विक शिखर सम्मेलन में गुलमोहर कॉलोनी भोपाल संचालिका ब्रह्माकुमारी डॉ रीना दीदी को सम्मानित भी किया गया। डॉ.रीना दीदी ने बताया कि नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महा अभियान के अंतर्गत अगस्त 2026 से अब तक गुलमोहर सेवाकेंद्र के भाई बहनों ने अथक सेवा करके इस कार्य को संभव बनाया। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो के साथ प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय द्वारा किए गए समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया था। उसके अनुरूप भोपाल जिले से नौ लाख से अधिक लोगों को इस महाअभियान से जोड़कर गुलमोहर कॉलोनी भोपाल सेवाकेन्द्र ने अकेले सात लाख प्रतिज्ञाएँ करवाकर मध्यप्रदेश में प्रथम एवं पूरे देश में पांचवे स्थान पर रहा। उल्लेखनीय है कि ब्रह्माकुमारीज के मेडिकल विंग द्वारा आयोजित इस देशव्यापी महाअभियान का वर्चुअल शुभारम्भ 2 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया था।

कैनाल किनशिप वार्ड 83 में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया करवा चौथ पर्व

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः कैनाल किनशिप कॉलोनी, वार्ड 83, सलैया में करवा चौथ का पर्व श्रद्धा, प्रेम और उत्साह के साथ मनाया गया।

इस अवसर पर कॉलोनी की सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए व्रत रखा।

पर्व के अवसर पर महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सोलह श्रृंगार कर पूजा-अर्चना की तथा करवा चौथ की कथा सुनकर विधि-विधान से करवा माता का पूजन किया। दिनभर निर्जला व्रत रखने के बाद महिलाओं ने चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ्य दिया और अपने पति के हाथों जल ग्रहण कर व्रत खोला।

करवा चौथ के पर्व ने कॉलोनी में प्रेम, आस्था और पारिवारिक एकता का सुंदर संदेश दिया। महिलाओं के उत्साह और पारंपरिक रीति-रिवाजों ने पर्व की रौनक बढ़ा दी। यह पर्व पति-पत्नी के प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है, जो पारिवारिक संबंधों को और अधिक मजबूत बनाता है।

जिला शीघ्र हस्तक्षेप केंद्रों को मजबूत करें, बच्चों का समय पर उपचार सुनिश्चित होः राजेंद्र शुक्ल

नप्र, भोपालः उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने गुरुवार को भोपाल स्थित निवास कार्यालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, एनीमिया मुक्त भारत अभियान और आशा कार्यक्रम की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने और आमजन तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाने के निर्देश दिए।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान उप मुख्यमंत्री ने जिला अस्पतालों में संचालित जिला शीघ्र हस्तक्षेप केंद्रों में आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध कराने और रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियां करने को कहा। उन्होंने आरबीएसके 2.0 पोर्टल पर चार डी के अंतर्गत चिन्हित बच्चों की जांच से लेकर उपचार पूरा होने तक की जानकारी अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों में बीमारियों की शुरुआती पहचान और समय पर उपचार सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

एनीमिया मुक्त भारत अभियान की समीक्षा में शुक्ल ने एएनएम और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के माध्यम से संभावित एनीमिया वाले पात्र हितग्राहियों की जांच कराने को कहा। एनीमिया की पुष्टि होने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपचार और नियमित फॉलोअप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उपचार की प्रगति का रिकॉर्ड रखने और संबंधित विभागों में समन्वय करने पर जोर दिया।

हरित भविष्य का संकल्पः मिठी स्कूल में ई-कचरा संग्रहण अभियान शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः मिठी गोबिंदराम पब्लिक स्कूल में 'मिशन लाइफ' के तहत ई-कचरा संग्रहण एवं जिम्मेदार निपटान अभियान आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों और अभिभावकों को ई-कचरे के सुरक्षित निपटान के प्रति जागरूक करना तथा पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण के सिद्धांतों को अपनाने के लिए प्रेरित करना था।

अभियान के तहत विद्यार्थियों ने पुरानी बैटरियां, चार्जर, केबल, ईयरफोन और अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक खिलौने विद्यालय में जमा किए। ईको क्लब प्रभारी हेमा चांदनानी के मार्गदर्शन में प्रयोजित अभियान की गई। विज्ञान शिक्षिका रुचि सिंह ने ई-कचरे से मिट्टी, जल और वायु पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी। उन्होंने इसे सामान्य कचरे में नहीं फेंकने की सलाह दी। संस्थान के सचिव घनश्याम बूलचंदानी ने इसे भावी पीढ़ियों के प्रति बड़ी जिम्मेदारी बताया। प्राचार्या रेखा केवलानी ने कहा कि विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाना है।

गौहर महल में दीपोत्सव मेले की शुरुआत, शिल्प बने आकर्षण

सात नवंबर तक चलेगा मेला, 50 से अधिक कारीगरों ने सजाए हस्तनिर्मित उत्पाद

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः दीपावली के अवसर पर गौहर महल में गुरुवार से दीपोत्सव मेला 2026 शुरू हुआ। मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम और माटीकला बोर्ड के संयुक्त आयोजन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए 50 से अधिक कारीगर अपनी कलाकृतियों और पारंपरिक उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। मेला सात नवंबर तक चलेगा।

मेले में मिट्टी के दीये, लालटेन, पेट्रोमैक्स, ग्वालन और ओरछा के राम दरबार जैसी कलाकृतियां आकर्षण का केंद्र हैं। पहली बार मिट्टी के कारीगरों के विशेष समूह को भी आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा तोरण, बंदनवार और दीपावली की सजावट से जुड़ी वस्तुएं भी उपलब्ध हैं।

शिल्पियों की कलाकृतियों में स्थानीय संस्कृति, धार्मिक आस्था और पारंपरिक कला की झलक दिखाई दे रही है। मेले में बस्तर का लमानिया दीया भी प्रदर्शित किया गया है, जो विभिन्न क्षेत्रों की शिल्प परंपराओं को मंच प्रदान करता है। उद्घाटन अवसर पर हथकरघा विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के अधिकारी और मेला प्रभारी उपस्थित रहे।

बेहटा गांव के तीन मंदिरों में शुरू हुआ शेड निर्माण

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः श्रद्धा विहार स्थित भगवान विश्वकर्मा मंदिर, बेहटा गांव के ग्वाल बाबा मंदिर और भोलेनाथ मंदिर में शेड निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। पांच लाख रुपये की लागत से शेड बनाए जाएंगे।

एमआईसी सदस्य एवं पार्षद राजेश हिंगोरानी ने निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि वार्ड को आदर्श बनाने के लिए विकास कार्य निरंतर जारी हैं। प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। मंदिरों में लंबे समय से शेड निर्माण की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस अवसर पर कर्नल नारायण परवानी, राम बंसल, मनीष बागवानी, नरेंद्र लालवानी, रमेश जनियानी, सुरेश जसवानी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी मौजूद रहे।

कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

वैध कालोनी प्रकोष्ठ
छठवां तल, अटल भवन, मुख्यालय, तुलसी नगर, सेकेण्ड स्टाप

क्रमांक 1262/6/ वैध का.प्रको./2026 भोपाल दिनांक 22/10/2026

।। सार्वजनिक विज्ञप्ति ।।

मध्यप्रदेश नगर पालिक (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के नियम 13 (2) के अन्तर्गत

सर्वसाधारण जनता की जानकारी के लिए इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कालोनाईजर श्री महेश कुमार मंधानी आ. लक्ष्मण दास मंघानी द्वारा पंजीकृत संयुक्त उपक्रम अनुबंध द्वारा भूमि स्वामी (1) श्री प्रेम सिंह आ. श्री पूरन सिंह (2) श्री पूरन सिंह आ. श्री गोटरी द्वारा सामान्य मुख्तियारनामा गृहिता श्री सीताराम आ. श्री गोटरी लाल द्वारा ग्राम लाउखेडी स्थित भूमि खसरा क. 114/2/1/1 (S), 114/2/2/(S), 115/4/2/ (S), कुल रकबा 0.838 हेक्टे. हेक्टे मे से (5493.00 वर्गमीटर) भूमि पर 'PLOTTED HOUSING' के विकास पर भोपाल नगर पालिक निगम क्षेत्र के अधीन भूखण्ड धारक होकर क्षेत्र में 'GURU GOVIND AASHIYANA' कालोनी निर्मित करने जा रहे है नगर तथा ग्राम निवेश जिला भोपाल द्वारा जारी अनुमोदित मानचित्र क्रमांक-BPLLP30012632389 दिनांक 27/04/2026 दर्शित भूखण्ड क्रं. 26 क्षेत्रफल 101.21 व.मी. भूखण्ड क्रं. 11 क्षेत्रफल 64.07 व.मी. भूखण्ड क्रं. 19 क्षेत्रफल 85.45 व.मी, भूखण्ड क्रं. 20 क्षेत्रफल 85.45 व.मी, इस भूखण्ड क्रं. 21 क्षेत्रफल 85.45 व.मी. भूखण्ड क्रं. 31 क्षेत्रफल 95. 35 व.मी, भूखण्ड क्रं. 32 क्षेत्रफल 94.38 व.मी, भूखण्ड क्रं. 33 क्षेत्रफल 93.41 व.मी. एवं भूखण्ड क्रं. 34 क्षेत्रफल 92.44 व.मी, प्रकार कुल 09 भूखण्ड जिनका कुल क्षेत्रफल 797.21 व.मी. नगर निगम भोपाल के अधीन बंधक रखे गये है। जिसका ई-पंजीयन संख्या क्र. MP43IGR16022026A101199496 दिनांक 12/10/2026 देकर किया गया है। उक्त बंधक भूखण्ड/प्रकोष्ठ/दुकानें इस क्षेत्र की कॉलोनी का आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के पश्चात् नियमानुसार बंधक मुक्त किये जावेगे तथा इसी के पश्चात् इन भूखण्ड/प्रकोष्ठ/दुकानों का विक्रय किया जा सकेगा।

अत: सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, इन बंधक भूखण्डों/प्रकोष्ठों / दुकानों के संबंध में न तो अनुबंध करें न ही किसी भी प्रकार के विक्रय, बंधक तथा अन्तरण की कोई कार्यवाही करें अन्यथा वह निरस्त मानी जावेगी अत: सूचित हो।

सक्षम प्राधिकारी एवं अपर आयुक्त
नगर पालिक निगम भोपाल

2093

कार्यालय थाना प्रभारी थाना निशातपुरा भोपाल

क्रमांक-था.प्र./निशात./मर्ग क्र.-74/2026 दिनांक-12.10.2026

जाहिर सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि थाना निशातपुरा, जिला भोपाल (म.प्र.) के मर्ग क्रमांक 74/2026 धारा 194 BNSS में अज्ञात मृतक पुरूष, उम्र करीब 50 वर्ष, कद करीब 5.6 फीट, बदन इकहरा, दाढी व बाले बडे-बडे है, मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत हो रहा है।है।उक्त अज्ञात मृतक के बारे में कोई जानकारी प्राप्त होने पर थाना निशातपुरा भोपाल मो.न. 7587601924, 7049105219 पर सम्पर्क करें।

थाना प्रभारी
थाना निशातपुरा भोपाल

G-20701/26

मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड

अधीक्षण अभियंता (मुख्यालय), कार्यालय कार्यपालक निदेशक (उत्पादन)
अ.ता.वि. गृह, म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., चचाई
E-mail : sehqgenco@gmail.com

अनुबंध के आधार पर चिकित्सकों की भर्ती

अमरकंटक ताप विद्युत गृह, मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड चिकित्सालय, चचाई में अनुबंध पर **एम.बी.बी.एस. डिग्रीधारी** चिकित्सक मासिक मानदेय रुपये 75000/-, **स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी** चिकित्सक मासिक मानदेय रुपये 1,10,000/- एवं **स्नातकोत्तर डिग्रीधारी** चिकित्सक मासिक मानदेय रुपये 1,25,000/- पर **'वाक-इन-प्रक्रिया'** के माध्यम से नियोजित किया जाना है। इच्छुक योग्य उम्मीदवार (चिकित्सक) समस्त वांछित दस्तावेजों के साथ **दिनांक 03.11.2026, प्रातः 11:00 बजे,** कार्यालय कार्यपालक निदेशक (उत्पादन), अ.ता.वि. गृह, म.प्र.पॉ.ज.कं.लि., चचाई, जिला-अनूपपुर (म.प्र.) में **Walk-In-Interview** हेतु आमंत्रित हैं।

म.प्र. माध्यम/128853/2026 **अधीक्षण अभियंता (मुख्यालय)**

परिशिष्ट B- संख्यांक 13
जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल
पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ट खण्ड, भोपाल

एमजेसी एसयूसी /189/2026
अमित कावडे बनाम सर्वसाधारण
NEXT DATE : 09-12-2026

प्रेषिती- सर्वसाधारण म.प्र. आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक अमित कावडे पता वार्ड नं. 1 भाटेरा चौकी, बालाघाट म.प्र. स्व. दीपिका कावडे ने मृतक की राशि/संपत्ति हेतु उत्तराधिकार अथवा अभिभावक/संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 09-12-2026 को नियत है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/ संरक्षक होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी किए जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 09-12-2026 को न्यायालय में स्वंय अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहे । सूचना उपरांत यदि अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की सुनवाई एकपक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा ।यह आज तारीख 14-10-2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

कृपया ध्यान दें :- 1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।

न्यायाधीश
श्रीमती मेघा अग्रवाल
पंचम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ट खण्ड

2092

न्यायालय नायब तहसीलदार वृत-खाईखेडा तहसील दोराहा जिला सीहोर (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 0145/अ-6/2026-27

//- उद्धघोषणा पत्र //

आवेदक गोरव नामदेव आ0 बी0एम0 नामदेव निवासी भोपाल कृषक ग्राम बनखेडा द्वारा उपस्थित होकर म0प्र0 भू-राजस्व सहिता 1959 की धारा 109-110 के तहत रजिस्ट्री के आधार पर नामातंरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया है। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। भूमि का विवरण निम्नानुसार है।

ग्राम का नाम, बनखेडा, सर्वे क्रमांक, 341/2/1/1/1/1/1/1/1, रक्वा 0.234 अत: उक्त संबंध में किसी भी व्यक्ति या सहखातेदारो को कोई आपत्ति या आक्षेप हो तो वह प्रकरण में नियत पेशी दिनाक 04/11/2026 के पूर्व स्वय या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पेश कर सकता है।वाद म्याद किसी भी आपत्ति या आवेदन पत्र पर विचार नही किया जावेगा। आज दिनाक 29/10/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

नायब तहसीलदार
वृत-खाईखेड़ा तहसील दोराहा

2091

न्यायालय नायब तहसीलदार वृत-खाईखेडा तहसील दोराहा जिला सीहोर (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 0144/अ-6/2026-27

//- उद्धघोषणा पत्र //

आवेदक आकाश नामदेव आ0 ब्रिजमोहन नामदेव निवासी भोपाल कृषक ग्राम बनखेडा द्वारा उपस्थित होकर म0प्र0 भू-राजस्व सहिता 1959 की धारा 109-110 के तहत रजिस्ट्री के आधार पर नामातंरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया है। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। भूमि का विवरण निम्नानुसार है।

ग्राम का नाम, बनखेडा, सर्वे क्रमांक, 341/2/1/1/1/1/1/1/1, रक्वा 0.234 अत: उक्त संबंध में किसी भी व्यक्ति या सहखातेदारो को कोई आपत्ति या आक्षेप हो तो वह प्रकरण में नियत पेशी दिनाक 04/11/2026 के पूर्व स्वय या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पेश कर सकता है।वाद म्याद किसी भी आपत्ति या आवेदन पत्र पर विचार नही किया जावेगा।आज दिनाक 29/10/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

नायब तहसीलदार
वृत-खाईखेड़ा तहसील दोराहा

2090

आम सूचना

सर्वविदित हो कि मेरे पति जॉन रासेल की मृत्यु वर्ष 1994 में हो चुकी है मेरे पति के भाई जेनियर डेबिड की पत्नि मरिम की मृत्यु वर्ष 1997 में हो चुकी है मरिम के बच्चों की मैने ही देखभाल एवं पालन पोषण किया मै शांति बाई पुत्री श्री डाबिड वसुनिय निवासी-393/29, नियर सतपुड़ा भवन, वल्लभ नगर, तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र. ने जेनियर डेबिड पुत्र श्री जोसफ डेबिड से दोनो की मर्जी से दिनांक 25/08/1998 में भोपाल में चर्च में विधिवत शादी कर ली है। मेरे पति जेनियर डेबिड अवर सचिव समान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण शाखा) मंत्रालत्र भोपाल मे भृत्य के पद पर कार्यरत रहते हुये दिनांक 01/07/25 को निधन हो गया है जिनकी मैं उत्तराधिकारी हूं उक्त संबंध में मेरी शादी से किसी भी व्यक्ति, संस्था शासकीय, अर्द्धशासकीय आदि अन्य को कोई आपत्ति हो तो मेरे कार्यालय में 07 दिवस के अंदर समस्त दस्तावेजों के साथ उपस्थित हो मियाँद गुजर जाने पर कोई आपत्ति स्वीकार नही होगी।

रामेश्वर सिंगरोली पटेल (अधिवक्ता)
शर्मा लॉ एसोसिएट 101, अप्सरा काम्पलेक्स, अप्सरा टॉकिज रायसेन रोड भोपाल
मो.नं. 9425679219, 7987029603

2089

कार्यालय कलेक्टर जिला विदिशा एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

(देखिये धारा 19)

क्रमांक भू-अर्जन/82/2025-26/1382757 **खजुरिया (पूरक) प.ह.न. 13 तहसील पठारी** **विदिशा दिनांक 16.10.2026**

अंर्तगत धारा-19 भू-अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापना में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिनियम 2013 (क्र.3 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इसबात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में हनोता सिंचाई परियोजना तहसील पठारी जिला विदिशा के ग्राम खजूरिया (पूरक प्रकरण) के लिए बांध डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अत: भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.3 सन् 2013) धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची
हनौता सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम-खजुरिया (पूरक)

तहसील-पठारी **जिला-विदिशा**

1.	परियोजना का नाम	हनौता सिंचाई परियोजना
2.	भूमि का विवरण :	
	1. जिला	विदिशा
	2. तहसील	पठारी
	3. ग्राम	खजुरिया (पूरक)
	4. पटवारी हल्का नं.	13
	5. अर्जित भूमि / अर्जित भवन / परिसम्पत्तियों का विवरण कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में	2.038 हे.
	6. अर्जित मकान एवं परिसम्पत्तियों का विवरण कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर में	383.71 वर्गमीटर
	कुल मकान एवं भूमि का अर्जित क्षेत्रफल	2.076 हे.

अनुसूची (1)
अर्जित भूमि इत्यादि का विवरण जो FTL के अंदर है

स. क्र.	भूमि स्वामी का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नं.	कुल रकवा हे. में.	अर्जित रकवा (हे.में) सिंचित	असिंचित	पड़ती	भूमि पर स्थित परिस्थितियां
1	नर्वदी पुत्र थनुआ उर्फ् थानसिंह जाति सहरिया पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, मृगाणाल पुत्र थनुआ उर्फ् थानसिंह जाति सहरिया पता खजुरिया पठारी विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, मीराबाई पुत्र थनुआ उर्फ् थानसिंह जाति सहरिया पता खजुरिया पठारी विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, रामदयाल पुत्र परम जाति सहरिया पता खजुरिया पठारी विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, काशीराम पुत्र परम जाति सहरिया पता खजुरिया पठारी विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	निजी	3 3	2.038	2.038	0.000	0.000	निरंक
		योग	1	2.038	2.038	0.000	0.000	

- अनुसूची (2):-
भूमि पर स्थित अर्जित मकान इत्यादि का विवरण जो FTL एवं MWL के अंदर है

स. क्र	मकान नं.	भूमि का मद	मकान धारक का विवरण	खसरा नं.	कुल रकवा	भू-धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण	लम्बाई×चोडाई. मीटर में	प्रभावित मकान का क्षेत्रफल (वर्गमी.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	निजी	रूपेश पिता मूलचंद अहिरवार	28/1/1	2.500	मूलचंद पिता दौलत जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	मकान पक्का	4.62×3.75	17.32
							नीव भरा प्लाट	4×3.75	15.00
							योग		32.32
2	2	निजी	ब्रजेन्द्र पिता मूलचंद अहिरवार	28/1/1	2.500	मूलचंद पिता दौलत जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	मकान पक्का	4.62×3.75	17.32
							योग		17.32
3	3	शासकीय	हीरालाल पिता तिजु अहिरवार	18/4	3.500	आबादी गांवठान	मकान कच्चा	6.60×4.20	27.72
							दहलान	6.60×2.00	13.20
							टपरा	3.30×2.90	9.57
							आंगन खुला	6.60×5.90	38.94
							योग		89.43
4	4	शासकीय	रतिवाई पति तिजु अहिरवार	18/4	3.500	आबादी गांवठान	मकान कच्चा	6.60×4.10	27.06
							दहलान	6.60×2.00	13.20
							मकान कच्चा	4.10×2.60	10.66
							दहलान	2.60×2.10	5.46
							आंगन खुला	5.70×6.40	36.48
							योग		92.86
5	5	शासकीय	भूपेन्द्र पिता तुलसीराम अहिरवार	18/4	3.500	आबादी गांवठान	मकान कच्चा	6.20×4.50	27.90
							दहलान	6.20×3.00	18.60
							मकान कच्चा	6.20×2.00	12.40
							आंगन खुला	6.90×5.40	37.26
							मकान पक्का	7.20×4.20	30.24
							आंगन खुला	7.10×3.20	22.72
							आंगन खुला	1.20×1.20	1.44
							पानी की टंकी	1.40×0.80	1.22
							योग		151.78
							कुल योग :-		383.71

प्रस्तावित भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित कुटंबो के पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन हेतु मौजा वडोह पट.ह.नं.- 20 तहसील पठारी जिला विदिशा की शासकीय भूमि खसरा नं. 700, 701, 802/1, 802/2. जिसका कुल रकबा 21.727 हेक्टेयर एवं मोजा गौडखेडी पट.ह.नं. 13 की शासकीय भूमि खसरा नं. 61. 62/1,62/2, 63, 87, 88/1/1, 88/1/2 एवं 88/2 जिसका कुल रकबा 24.197 हेक्टेयरे, चिन्हित की गई है तथा प्रभावित कुटंबों के पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन हेतु आयुक्त, विदिशा संभाग विदिशा के आदेश पृ.क्र./1048/01/राजस्व-2/21, भोपाल, दिनांक 30/01/2021 के द्वारा पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति अनुमोदित की गई है जिसका सार निम्नानुसार है :- (1) प्रभावित कुटुंब को प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशां के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा। जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्ग मी. से कम नहीं होगा। (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंवों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रो की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा। (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है. तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा। (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधो के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा। (5) ऐस प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है. कां अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। (7) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार 'पुनर्व्यवस्थापन भत्ता दिया जाएगा। (8) प्रभावित कुटुंबो को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा। (9) प्रभावित कुटुंवो को आवंटित्त मकान के लिए भूमि सभी विल्लगामों से मुक्त होगी। (10) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा। (11) जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियते और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वंय के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। (11.1) युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी। (11.2) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंवों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। (11.3) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं। (11.4) भारत सरकार द्वारा विहित मानको के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित्त पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन। (11.5) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था। (11.6) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह। (11.7) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या। (11.8) यथेचित पंचायत घर। (11.9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह। (11.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु। (11.11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनो के माध्यम से कनेक्शन) (11.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी। (11.13) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधो के अनुसार विद्यालय, (11.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र, (11.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, (11.16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र, (11.17) प्रत्येक सौ कुटुंबो के लिए एक सामुदायिक केन्द्र, (11.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबो के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल /वृक्ष चौतरा, (11.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो। (11.20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र, (12) प्रभावित कुटंब जो प्रभावित क्षेत्र में स्थाई रूप से निवासरत है को 50 फुट × 20 फुट कुल 1000 वर्गफुट का शासकीय आवासीय पट्टा दिया जावेगा। प्रभावित कुटंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु ग्राम-गोडखेडी में पूर्व से आवंटित शासकीय भूमि खसरा नं. 61, रकवा 5.017 हे., 62/1, रकवा 1.582 हे. 62/2, रकवा 3.435 हे. 63, रकवा 5.017 हे., 87, रकवा 5.017 हे., 88/1/1, रकवा 1.000 हे., 88/1/2 रकवा 3.077 हे. एवं 88/2 रकवा 0.052 हे. जिसका कुल रकवा 24.197 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। जिसके तहत प्रभावित कुटुम्बों को शासकीय पट्टा आवंटिंत किया जावेगा। भूमि अंतिम रूप से चयनित होने एवं प्रभावित कुटुंबों की सूची फाइनल होने के उपरांत पट्टा वितरण की कार्यवाही की जावेगी। 13. उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधाएं प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम /मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व 3 बर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे, तथा धारा-11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व 3 बर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुम्बों (व्यक्तियों) का होगा। 14. अधिनियम की धारा-3 डी के तहत प्रभावित कुटुम्ब (व्यक्तियों) द्वारा 18 बर्ष की आयु धारा-11 की प्रारम्भिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधाये एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति /कुटुम्ब को दिया जायेगा। भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागी अधिकारी (राजस्व) कुरवाई जिला विदिशा एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

जी-20648/26

के.एल. सूर्यवंशी
सहायक प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर (म.प्र.)

सौरभ त्रिवेदी
परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर (म.प्र.)

मनीष जैन
अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) कुरवाई

अशुंल गुप्ता
कलेक्टर एवं उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन राजस्व, विभाग जिला विदिशा (म.प्र.)